107

//श्री//

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
प्रकरण कमांकः– /11–12 निगरानी —R-1131-PBR/12

श्री रविन्द्र पिता श्री पुरूषोत्तमजी राव, जाति ब्राह्मण, उम्र 70 साल, धंधा खेती, निंवासी :– जूनाशहर बडनगर, हा0 मु0 :– 117, श्री–नगर एक्सटेन्शन, खजराना–रोड इन्दौर, भूमिस्वामी :– ग्राम कजलाना, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश ---------निगरानीकर्ता

श्री विजय बहादुर सिंह राठौड़ अधिवक्ता द्वारा कैम्प उज्जैन प्रस्तुत

विरुद्ध

श्री दिनेश पिता श्री हीरालालजी, जाति ब्राह्मण,निवासी ग्राम कजलाना, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश ------------विपक्षी

निगरानी–आवेदन–पत्र अन्तर्गत् धारा 50 भू0 रा0 स0 न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण कमांकः– 95अ12/10–11 मे पारित् आदेश दिनांक :– 26/12/2011 से असंतुष्ट होकर।

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी–आवेदन–पत्र प्रस्तुत हैं:–

सारांश

यह कि निगरानीकर्ता के आपसी हिस्से व बटवारे की भूमि सर्वे नं0 32 रकबा 0.84, ग्राम कजलाना, तहसील बडनगर में स्थित हैं। निगरानीकर्ता की इस भूमि से पूर्व दिशा में विपक्षी की भूमि सर्वे नं0 35 स्थित हैं। विपक्षी ने अपनी भूमि सर्वे नं0 35 के सीमांकन किये जाने के लिये न्यायालय तहसील बडनगर में आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रकरण कमांक :– 95अ12/10–11 पर कायम हुआ। इस प्रकरण में निगरानीकर्ता व अन्य की ओर से आपत्ति पेश कर सीमांकन नहीं किये जाने बाबत् निवेदन किया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय बडनगर ने प्रकरण के निराकरण तक सीमांकन नहीं किये जाने बाबत् आदेश देते हुए राजस्व निरिक्षक को सीमांकन नहीं किये जाने बाबत् सूचना जारी की गई। निगरानीकर्ता व अन्य ने आपत्ति दिनांकः– 22/06/2011 को पेश की गई। इस आदेश के बाद राजस्व निरिक्षक ने अवैध रूप से भूमि का सीमांकन करके प्रतिवेदन तहसीलदार महोदय बडनगर में पेश किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया और सीमांकन के समय सीमांकन किये जाने की कोई भी सूचना निगरानीकर्ता को नहीं दी। निगरानीकर्ता पडोसी कृषक हैं। विधि अनुसार् निगरनीकर्ता को सीमांकन किये जाने के पूर्व सूचना दी जाना अति आवश्यक हैं। राजस्व निरिक्षक ने अपने अधिकारों के विपरित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करते हुए अवैध सीमांकन कर अवैध पंचनामा बनाकर अवैध प्रतिवेदन पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक :– 26/12/2011 को प्रकरण निरस्त कर दिया गया। इस आदेश की जानकारी निगरानीकर्ता को दिनाक :–18/04/2012 को न्यायालय तहसील बडनगर में आने से आदेश की जानकारी होने पर निगरानीकर्ता ने आदेश व राजस्व निरिक्षक के प्रतिवेदन, पंचनामा, नक्शा आदि की नकले प्राप्त किये जाने का आवेदन–पत्र दिनांकः–18/04/2012 को पेश करने पर नकले दिनांकः– 19/04/2012 को प्रदान की गई। इस आदेश की जानकारी होने से निगरानीकर्ता की

R. P. Karwade

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1131-पीबीआर/12 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	